>

Title: Need to make public the details of funds received by various Non-Government Organisations in the country.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): देश में कार्यरत गैर-सरकारी संस्थाओं में से अनेकों को विदेशों से धन प्राप्त होता है। यह धन किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलता है।

सरकार आतंकवादियों के विदेशी संबंधों पर कड़ी नजर रखती है। गैर-सरकारी संस्थाओं को विदेशों से प्राप्त धन से भी हमारे लोकतंत्रीय ढांचे को अस्थिर करने के प्रयासों में मदद मिलने की संभावनाएं हैं।

यह जांच का विषय है कि इन गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त धन जिस उद्देश्य हेतु प्राप्त होता है उसकी पूर्ति हेतु होता है अथवा नहीं।

विदेशों से प्राप्त होने वाले इस धन का विवरण सरकारी फाइलों में भले हो परंतु देश का आम आदमी इस जानकारी से वंचित ही रहता है। इस विवरण को सरकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने से आम व्यक्ति भी अपने स्तर से यह जानकारी प्राप्त कर सकेगा कि इस धन का सदुपयोग हुआ है अथवा नहीं ?

भारत सरकार द्वारा कराई गई जांच में 24 मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं, 10 मामले राज्य पुलिस को दिए गए हैं, 32 एनजीओ के खातों पर रोक लगाई गई है तथा 72 एनजीओ को विदेशी अभिदान प्राप्त करने से रोका गया है। संबंधित गैर-सरकारी संस्थाओं की सूची को सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है ताकि विदेशों से धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं का संबंध स्पष्ट हो सके।

अतः मेरी मांग है कि सभी गैर-सरकारी संस्थाओं की सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक करें ताकि आम आदमी इन संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त धन के उपयोग से जुड़ी समस्त जानकारी पा सके।